

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/आय-आवक/476/1515  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14/03/2019

- 1 संयुक्त/उपसंचालक  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
आंचलिक कार्यालय -(समस्त)
- 2 सचिव  
कृषि उपज मण्डी समिति  
..... -(समस्त)

विषय:-भावांतर. भुगतान योजना के पोर्टल पर उपलब्ध व्यापारीवार क्य मात्रा एवं मंडी फीस का सत्यापन करने के संबंध मे।

उपरोक्त विषय मे लेख है भावान्तर भुगतान योजना 2018 की अवधि मे अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा अधिसूचित मण्डी/उपमण्डी प्रांगण मे क्य की गई अधिसूचित कृषि उपज सोयाबीन व मक्का के विक्रय संव्यवहारों की एंट्री मण्डियों के द्वारा, योजना के पोर्टल पर की गई है।

एनआईसी के द्वारा उक्त योजना के पोर्टल में मण्डी सचिव के लॉगिन पर, व्यापारीवार क्य मात्रा एवं देय मण्डी फीस की गणना की जानकारी उपलब्ध करायी गई है।

मण्डी सचिव, पोर्टल पर उक्तानुसार प्राप्त जानकारी का व्यापारीवार नियमानुसार सत्यापन करें, किसी भी अनियमितता की स्थिति में मण्डी एक्ट, उपविधि के प्रावधानों अनुसार योग्य कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

आंचलिक अधिकारी, क्षेत्रान्तर्गत अधीनस्थ मण्डियों मे उक्तानुसार कार्यवाही करावें एवं की गई कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत कराये।

(फैज अहमद किदवई)

आयुक्त सह प्रबंध संचालक  
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/आय-आवक/476/1516  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 14/03/2019

अपर संचालक (भा0भु0यो0) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक  
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल